संख्या-03/यो०-42/2018/...........

**बिहार सरकार**

**समाज कल्याण विभाग**

2703
06.2.20

प्रेषक,

विजय रंजन,
संयुक्त निदेशक (मु०),
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ...............

विषय: **मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना की स्वीकृति तथा इस निमित कुल 356.5644 (तीन सौ छप्पन करोड छप्पन लाख चौवालीस हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत विभिन्न वर्ग समूहों के लाभुकों यथा शिशु, बालक, बालिका के सुरक्षित आवासन एवं पुनर्वास हेतु विभिन्न गृहों का निर्माण एवं अन्य सुसंगत आधारभूत संरचनाओं का विकास तथा उनका संचालन, रख-रखाव एवं अनुश्रवण किया जायेगा। विभाग अन्तर्गत बालक, बालिका तथा शिशु गृह आदि का निर्माण तथा संचालन एक ही परिसर में इस योजना के तहत किया जाना है।

2. विभाग अन्तर्गत बच्चों के लिए बाल गृहो का निर्माण तथा संचालन मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना के अन्तर्गत किया जायेगा। इसके अन्तर्गत बालक, बालिका, शिशु आदि वर्ग समूह इसके तहत लाभान्वित होंगे। इस वर्ग समूह के लिए पूर्व से संचालित योजनाएँ यथा समेकित बाल संरक्षण योजना, बाल गृह का निर्माण आदि मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना में सन्निहित होंगे तथा इस योजना से ही संबंधित गृहों का निर्माण तथा संचालन किया जायेगा। मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृहद आश्रय गृहों का निर्माण बच्चों के लिए प्रत्येक परियोजना परिसर में किया जायेगा। प्रत्येक परियोजना में इन वृहद आश्रय गृहों की कुल आवासन क्षमता 200 की होगी। उक्त 200 में से शिशु, बालक तथा बालिका के आवासन की व्यवस्था की जायेगी। इसमें विभिन्न आयु वर्ग के बालक, बालिकाओं की आवासन व्यवस्था अलग-अलग होगी।

3. प्रत्येक ब्लॉक में लाभुक वर्ग समूह के आधार पर व्यवस्था अलग-अलग होगे परन्तु कुछ सुविधाएँ यथा साफ-सफाई, सुरक्षा, सीसीटीवी, इन्टरनेट, जनरेटर आदि की सुविधा समेकित हो सकती है। प्रत्येक वर्ग समूह के लिए भवन का निर्माण संबंधित स्कीमों यथा बालक, बालिका तथा शिशु श्रेणी के लाभुकों के लिए मांग संख्या 3 अन्तर्गत बाल गृह/पर्यवेक्षण गृह का निर्माण तथा मांग संख्या 51 अन्तर्गत समेकित बाल संरक्षण योजना के बजट शीर्ष से होगी। प्रत्येक परियोजना परिसर में ही 200 आवासन क्षमता वाले वृहद आश्रय गृहों के अतिरिक्त परन्तु उससे पृथक, पदाधिकारियों एवं कर्मी के लिए स्टाफ क्वार्टर, परियोजना कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य/उपचार केन्द्र, विभिन्न कार्यक्रम केन्द्र आदि का निर्माण भी किया जायेगा तथा सुरक्षा प्रहरी के लिए भी आवासीय परिसर के बाहर तथा अंदर सुरक्षा बैरक/पोस्ट का निर्माण किया जायेगा। सभी भवन दिव्यांगजन के लिए सुगम्य होंगे। परिसर के चारों ओर बाउन्ड्री वॉल होंगे। इस योजना अन्तर्गत कम से कम प्रत्येक प्रमण्डल में एक-एक परियोजना और कतिपय सीमावर्ती/विशेष प्रभावित जिलों को लेकर सम्प्रति 12 जिलों में एक-एक परियोजना प्रस्तावित है, जो भूमि की उपलब्धता के आलोक में है। उक्त वर्णित गृहों के प्रति परियोजना भवन निर्माण, उपकरण, उपस्कर एवं सुसज्जिकरण पर मानक अनावर्ती व्यय 29.7137 करोड (उनतीस करोड एकहत्तर

लाख सैतीस हजार) अर्थात कुल 12 परियोजना पर 356.5644 करोड (तीन सौ छप्पन करोड छप्पन लाख चौवालीस हजार) का व्यय अनुमानित है।

4. स्वीकृत राशि का आवंटन प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संबंधित भवन प्रमण्डल को प्रदान किया जायेगा। आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा विनिर्दिष्ट/प्राधिकृत कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना द्वारा निर्गत आवंटन की सीमा तक राशि की निकासी नियमानुसार संबंधित कोषागार से की जायेगी।

5. राशि की निकासी मॉग सं0-03 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-051-निर्माण-0104-समाज कल्याण से संबंधित विभिन्न भवनों के निर्माण तथा मांग संख्य–51 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-0223/0323 एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम अन्तर्गत उपलब्ध योजना उदव्यय/बजट उपबंध से विकलनीय होगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय वित विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998, 2398/वि0 दिनांक 08.04.2008, 3758/वि0 दिनांक 31.05.2017, 378/वि0 दिनांक 16.01.2018, 354/वि0 दिनांक 28.03.2018, 662/वि0 दिनांक 02.08.2018 तथा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

7. विभिन्न वर्ग समूहों के लाभुकों यथा बालक, बालिका, शिशु के आवासन एवं पुनर्वास हेतु आश्रय गृहों की स्थापना एवं उसके समुचित संचालन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बाल आश्रय विकास योजना की स्वीकृति तथा सम्प्रति 12 परियोजना परिसरों में प्रति परियोजना 200 लाभुकों के लिए 29.7137 करोड (उनतीस करोड एकहत्तर लाख सैतीस हजार) रू० की लागत पर वृहद आश्रय गृहों के निर्माण एवं सुसज्जिकरण हेतु कुल अनावर्ती 356.5644 करोड (तीन सौ छप्पन करोड छप्पन लाख चौवालीस हजार) रू० की व्यय, जो आवश्यकतानुसार केन्द्रांश की पर्याप्त राशि न उपलब्ध होने पर राज्यांश/राज्य योजना से वहन किया जायेगा, की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8. उक्त प्रस्ताव पर संचिका संख्या-03/यो-42/2018 के पृष्ठ-77/टि0 पर दिनांक 28.01.2020 को राज्य मंत्रिमण्डल की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0),

ज्ञापांक :- सं0सं0-03/यो०-42/2018/07/ पटना, दिनांक 31-1-2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित विभाग/समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सचिव, बिहार अधिकार संरक्षण आयोग, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/1/20

संयुक्त निदेशक (मु0),

समाज कल्याण विभाग।